C M Y K

www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 219 नागपुर, बुधवार, 5 जुलाई 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

अचलकुमार ज्योति बने नए मुख्य चुनाव आयुक्त

नई दिल्ली

चुनाव आयुक्त अचलकुमार ज्योति को देश का 21वां मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त किया गया है। वह मौजूदा सीईसी नसीम जैदी की जगह लेंगे। नसीम जैदी बुधवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

विधि मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान 64 वर्षीय अचलकुमार ज्योति सूबे के मुख्य सचिव रह चुके हैं। वह छह जुलाई को सीईसी का कार्यभार संभालेंगे। 1975 बैच के आइएएस अधिकारी ज्योति ने आठ मई, 2015 को चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। वह अगले साल 17 जनवरी तक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहेंगे।

ज्योति का 40 वर्षो का लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। वह 2010 में गुजरात के मुख्य सचिव बनाए गए थे। उनको प्रशासनिक अनुभव के साथ-साथ अपनी कठोरता और निर्णय लेने की क्षमता के लिए भी जाना जाता है। वह गुजरात के सतर्कता आयुक्त भी रह चुके हैं। ज्योति कांदला पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड में भी प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। वह गुजरात के उद्योग, राजस्व और जलापूर्ति विभाग के सचिव भी रह चुके हैं। वह जनवरी 2013 में गुजरात के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।

मालूम हो, मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त का कार्यकाल अधिकतम छह वर्ष या 65 साल की उम्र (इनमें से जो भी पहले हो) तक होता है। मौजूदा सीईसी के अवकाश ग्रहण करने के कारण निर्वाचन आयोग में खाली हो रहे चुनाव आयुक्त के एक पद को भरने के लिए सरकार जल्द कदम उठा सकती है। जैदी के रिटायरमेंट के बाद आयोग में मनोनीत सीईसी ज्योति के अलावा ओमप्रकाश रावत ही एकमात्र चुनाव आयुक्त रह जाएंगे।

जल्द ही आपकी जेब में आएगा 200 का नया नोट, छपाई के निर्देश जारी

नई दिल्ली

नोटबंदी के बाद आए 500 और 2000 रुपए के नए नोट के बाद अब सरकार 200 रुपए का नया नोट ला रही है। जनता को ये नया नोट जुलाई अंत या फिर स्वतंत्रता दिवस तक मिल सकता है। आरबीआइ ने इसकी छपाई के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।

सरकार की देखरेख में होगी छपाई

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) ने कुछ हफ्तों पहले ही इसकी छपाई के ऑर्डर दिए हैं। इन नोटों की छपाई सरकार की देखरेख में की जा रही है। यह कदम ट्रांजैक्शंस को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही नोट के सिक्योरिटी फीचर्स की टेस्टिंग भी की जा रही है। बता दें कि एस.बी.आई. की ग्रुप चीफ सौम्या कांती घोष ने बताया था कि 200 रुपए के नोटों के मार्कीट में आ जाने से लेन-देन में आसानी होगी।

इजरायल पहुंचे पीएम मोदी, नेतन्याहू ने कहा- स्वागत है मेरे दोस्त

स्वागत के लिए इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने तोड़ा प्रोटोकॉल

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन दिवसीय यात्रा पर इजरायल पहुंच गए हैं। मोदी एयर इंडिया के विमान से इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंचे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले हाथ जोड़कर नमस्ते किया और हिंदी में कहा-आपका स्वागत है मेरे दोस्त।

नेतन्याहू ने कहा जब मैं आपसे पहली बार मिला तो हम भारत और इजरायल के बीच संबंध को आगे ले जाने पर सहमत हुए। फिर हम पेरिस में मिले उसके बाद मेरी आपसे कई बार बात हो चुकी है।

नेतन्याहू ने कहा कि मुझे याद है कि आपने कहा था कि जब भारत और इजरायल के संबंधों की बात आती है तो स्काई इज द लिमिट, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि स्काई की भी लिमिट नहीं है क्योंकि आज हमारी साझेदारी स्पेस प्रोग्राम तक पहुंच गई है। नेतन्याहू ने अपने भाषण के अंत में भी पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया।

नेतन्याहू ने कहा हम भारत से प्यार करते हैं। आपकी संस्कृति, इतिहास, लोकतंत्र और तरक्की के प्रति संकल्प के मुरीद हैं।

मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इजरायल के दौरे पर हैं। मोदी मंगलवार सुबह ही तीन दिवसीय इजरायल यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने इजरायल के साथ रिश्तों को खास बताया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देश एक-दूसरे के और करीब आएंगे।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी मोदी के दौरे को लेकर खासे उत्साहित हैं। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उन्होंने इसे ऐतिहासिक दौरा बताया। भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर उन्होंने कहा- इजरायल स्वागत को तैयार है। तीन दिवसीय दौरे के बाद मोदी इजरायल से ही जर्मनी के लिए रवाना होंगे, जहां वह जी 20 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

इन समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर

भारत और इजरायल के बीच कारोबार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 40 मिलियन डॉलर का साझा कोष बनाया जाएगा।

भारतीय फिल्मकार यदि फिल्मों की शूटिंग करने के लिए इजरायल जाएंगे, तो उन्हें वहां छूट देने के लिए समझौता होगा।

पर्यटन को बढ़ावा देने और जल व कृषि क्षेत्र में संयुक्त सरकारी परियोजना शुरू करने को लेकर समझौता होगा।

नई खोज, विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के कई समझौते होने की उम्मीद है।

वायु संपर्क और निवेश बढ़ाने को लेकर भी समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। भारत इजरायल में अपना सांस्कृतिक केंद्र खोलेगा।

दर्शन | मंगलवार को आषाढ़ी एकादशी के शुभ अवसर पर पंढ़रपुर स्थित श्री विट्ठल-रुकिमणी की पूजा में शामिल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनकी माताजी व साथ में उपस्थित श्रीमती अमृता फडणवीस।

सोनिया की नागरिकता पर आरटीआइ में देरी से सीआइसी का सख्त रुख

नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। तमाम विरोधी दल सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर उन पर निशाना भी साधते रहे हैं। मंगलवार को केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय को सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर दायर एक आरटीआइ का जवाब देने को कहा है। मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर ने इस संबंध में आदेश दिया है।

माथुर ने कहा कि रिकॉर्ड देखने पर पता चला है कि गृह मंत्रालय ने आवेदक के सवालों का जवाब नहीं दिया है। आयोग का मानना है कि गृह मंत्रालय को इस आदेश की कॉपी मिलने के 15 दिनों के भीतर जवाब देना चाहिए।

गौरतलब है कि उज्जैन के आरटीआइ आवेदक ने विदेश मंत्रालय से सोनिया गांधी समेत भारत की नागरिकता हासिल करने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी मांगी थी। इसके अलावा आवेदक ने सोनिया गांधी की नागरिकता आवेदन, दस्तावेजों की कॉपी, अधिसूचना, आदेश, नियम, भारतीय नागरिकता से संबंधित पत्राचार और सत्यापन प्रक्रिया के नोट पत्रों की प्रमाणित प्रतियां भी मांगीं थीं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस आरटीआइ का जवाब दिए बिना ही गृह मंत्रालय के पास ट्रांसफर कर दिया था।

इसके साथ ही गृह मंत्रालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को अगली सुनवाई के दिन पेशी का भी आदेश दिया गया है।

5 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव, चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली

चुनाव आयोग ने मंगलवार को 6 अगस्त के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने नामांकन भरने के लिए अंतिम तारीख 18 जुलाई तय किया है। 21 जुलाई तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं।

अब तक न तो सत्तारूढ़ पार्टी एनडीए और न ही विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के लिए अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा की है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है।

इस चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वहीं राज्यसभा के अतिरिक्त सचिव मुकुल पांडे व राज्यसभा के संयुक्त सचिव रोहतास को चुनाव का असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

शरीफ को नामांकन पत्र से संबंधित जानकारियों के साथ नोटिस मिला। नोटिस के अनुसार उम्मीदवारों को अपना नामांकन संसद भवन स्थित कक्ष क्रमांक 29 में निर्वाचन अधिकारी को स्वयं या अपने प्रस्तावक के जरिये निर्धारित समय सीमा में जमा कराना होगा। इसमें उम्मीदवार को 20 प्रस्तावकों और इतने ही अनुमोदकों के हस्ताक्षरयुक्त प्रपत्र और अन्य आवश्याक दस्तावेज 18 जुलाई को दिन में 3 बजे तक जमा कराने होंगे। उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में 15 हजार रुपये नकद सरकारी खजाने में पहले जमा कराकर उसकी रसीद नामांकन पत्र के साथ जमा करानी होगी। इच्छुक उम्मीदवार नामांकन पत्र का फॉर्म संसद भवन स्थित निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम की धारा 5बी के तहत जमा किए जाने के समय ही खारिज नहीं किये गए नामांकन पत्रों की जांच 19 जुलाई को निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी। उम्मीदवार स्वयं या प्राधिकार पत्र के साथ अपने किसी प्रस्तावक के माध्यम से 21 जुलाई को दिन में तीन बजे तक अपने नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। जरूरत पड़ने पर पांच अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा।

ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर लगाया धमकी देने और अपमानित करने का आरोप

कोलकाता

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि राज्यपाल ने उन्हें धमकी दी और अपमानित किया। गुस्से में नजर आ रहीं ममता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, उन्होंने मुझे धमकी दी। मंगलवार को मेरा अपमान किया है। वह ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उनसे कहा कि वह मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं चुनकर आई जनप्रतिनिधि हूं, जबकि वह नॉमिनेटेड हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल उनसे एक स्थानीय बीजेपी नेता की तरह बात कर रहे थे।

राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने सीएम ममता बनर्जी को उत्तरी 24 परगना जिले के बादुरिया में हुई हिंसा की जानकारी लेने के लिए बुलाया था। ममता का आरोप है कि राज्यपाल ने राज्य बीजेपी इकाई का समर्थन किया और उन्हें अपमानित किया।

उत्तरी 24 परगना जिले के बादुरिया में सोमवार को एक आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। एक छात्र ने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

इसके बावजूद भारी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचे और आरोपी को उन्हें सौंपने की मांग करने लगे। पुलिस द्वारा ऐसा न करने के बाद उन्होंने कई जगहों पर रोड ब्लॉक करना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद ही स्वरूपनगर और बसीरहाट जैसे इलाकों में तेजी से तनाव फैल गया। दोनों समूह सड़कों पर आ गए। स्थिति को काबू में करने के लिए आरएएफ को बुलाया गया। प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के एक दिन बाद भी इलाके में तनाव व्याप्त है।

सीएन ने हालांकि बताया कि शांति बनाए रखने के लिए सभी उपयुक्त कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कुछ लोग पैसे के लिए इस नफरत को फैला रहे हैं।

उन्होंने पीएम मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति (मोदी) विदेश गए जाते हैं और शांति की बात करते हैं, लेकिन उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं है कि उनके अपने देश में क्या चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया।

बाल-बाल बचे गृह राज्यमंत्री रिजिजू, हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग

नई दिल्ली

गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू मंगलवार को एक हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गए। दरअसल, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में खराब मौसम के कारण रिजिजू के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पडी। हेलिकॉप्टर में सवार रिजिजू समेत सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि एमआइ-17 हेलिकॉप्टर में रिजिजू समेत सात अन्य लोग और क्रू मेंबर सवार थे। हेलिकॉप्टर ने गुवाहाटी से जायरो के लिए उड़ान भरी थी।

बारिश और कोहरे के कारण बीएसएफ के पायलट ने आपात स्थिति में ईटानगर में हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। इस घटना के बाद रिजिजू ने कहा मेरा सौभाग्य है कि मैं सुरक्षित तरीके से उतर गया। बीएसएफ के जवानों को धन्यवाद।

गोरक्षा के नाम पर हत्या करना हिंदुत्व के खिलाफ - शिवसेना

मुंबई

शिवसेना ने गोरक्षा के नाम पर लोगों की जान लिए जाने को हिंदुत्व के खिलाफ बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वह गोमांस पर एक राष्ट्रीय नीति पेश करें। भाजपा शासित झारखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में गोरक्षा के नाम पर लोगों को पीट पीट कर मार डालने की कई घटनाएं सामने आई हैं जिनके कारण विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

गोरक्षा करने वाले लोग कल तक हिंदू थे पर वे आज हत्यारे बन गए हैं

शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे एक सम्पादकीय में कहा गया, गोमांस का मामला खाने की आदतों, कारोबार एवं रोजगार से जुड़ा है, इसलिए इस मामले पर एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। पार्टी ने कहा, गोरक्षा करने वाले लोग कल तक हिंदू थे पर वे आज हत्यारे बन गए हैं। मोदी ने गोरक्षा के नाम पर लोगों की हत्या करने वाले स्वयंभू गोरक्षकों को पिछले सप्ताह एक कड़ा संदेश दिया था कि गाय की रक्षा के नाम पर लोगों की हत्या करना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।

गोरक्षा पर पीएम के बयान का स्वागत

शिवसेना ने कहा, हम इस मामले पर प्रधानमंत्री के अपनाए रुख का स्वागत करते हैं। किसी को भी गोरक्षा के नाम पर कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं।

लोगों की हत्या करना हिंदुत्व के सिद्धांत के विपरीत है। समाचार पत्र में कहा गया है, हम हिंदुत्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए उनका (मोदी) धन्यवाद करते हैं। उन्हें अब गोमांस पर एक राष्ट्रीय नीति पेश करनी चाहिए ताकि तनाव कम हो सके। गोहत्या या गोमांस खाने के संदिग्धों की लोगों की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या करने के मामलों के कारण आलोचनाएं झेल रहे भाजपा प्रमुख अमित शाह ने हाल में इस प्रकार की घटनाओं को गंभीर करार दिया था लेकिन उन्होंने दावा किया था कि भीड़ द्वारा हत्या की घटनाएं राजग सरकार के तीन साल के कार्यकाल की तुलना में पहले की सरकारों में अधिक हुई थीं।

नोटबंदी: पुराने नोट बदलने की डेडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआइ से मांगा जवाब

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के दौरान किसी मजबूरीवश 500 और 1000 के पुराने नोट जमा न करा पाये लोगों को एक और मौका दिये जाने पर केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआइ) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने लोगों की मुश्किलें महसूस करते हुए सरकार से कहा कि किसी की मेहनत से कमाई गई वैध रकम को ऐसे कैसे बर्बाद होने दिया जाए। सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगते हुए कोर्ट ने मामले को 18 जुलाई को फिर सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया।

ये निर्देश मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटबंदी के दौरान पुराने नोट जमा कराने की निश्चित अवधि में रकम जमा न कराने की मजबूरी बताते हुए और मौका दिये जाने की मांग कर रही याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिये। पीठ ने कहा कि अगर कोई बीमारी या किसी अन्य वजह से निश्चित अवधि के भीतर बैंक में पैसा जमा नहीं करा पाया। उसकी वैध कमाई की रकम है और वो उसका उचित कारण देता है तो उसे एक मौका और क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। पीठ ने केन्द्र सरकार की पैरोकारी कर रहे सालिसीटर जनरल रंजीत कुमार से कहा कि वे इस बारे में सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को सूचित करें। रंजीत कुमार ने कहा कि वे 10 दिन में निर्देश लेकर कोर्ट को सूचित करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के हिसाब से देख सकती हैं, लेकिन इस बारे में कोई एक समान आदेश नहीं जारी किया जाना चाहिए। इस मामले में सुधा मिश्रा व कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीमकोर्ट मे याचिकाएं दाखिल कर निश्चित अवधि में पैसा जमा न करा पाने की मजबूरी बताते हुए पुराने नोट जमा कराने का निर्देश मांगा है।

याचिकाओं में कहा गया है कि गत वर्ष 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 के नोट बंदी की घोषणा की थी तब कहा कि लोग 30 दिसंबर तक बैंक व पोस्ट आफिस में पुराने 500 और 1000 के नोट जमा करा सकते हैं और अगर कोई पैसे जमा नहीं करा पाता तो वह कुछ शर्तों के साथ आरबीआइ की शाखाओं में 31 मार्च तक पुराने नोट जमा करा सकते हैं।

एनजीटी के रडार पर गंगा किनारे के बिजली संयंत्र

नई दिल्ली

गंगा नदी में अपशिष्ट छोड़ने वाले ताप बिजली संयंत्र नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के रडार पर आ गए हैं। इन संयंत्रों ने गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए क्या पर्याप्त उपाय किए हैं। इस संबंध में एनजीटी ने रिपोर्ट तलब की है। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय से इस संबंध में हलफनामा के साथ टिप्पणी दाखिल करने को कहा है। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि बिजली संयंत्रों से निकलने वाले फ्लाई एश को पर्यावरण और गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में मिलने से रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं या नहीं।